संचिका संख्या–ब–15/बी0एस0जी0–06/2019......**256**/वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः–**26.02.2019**

विषयः– बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांकः 21.02.2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019 **(बिहार अधिनियम 4, 2019)** को अधिसूचना संख्या– एल0जी0–01–05/2019/लेजः **1563** एवं **1564** (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांकः **25.02.2019** द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या–**277** दिनांक– **25.02.2019** से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या–277 दिनांक–25.02.2019 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को दो–दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 01 अप्रील 2019 से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित निर्वाचन, गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग की क्रमशः माँग–6, 22 एवं 39 की संपूर्ण राशि; शेष माँगों अंतर्गत प्रावधानित राशि के 33 प्रतिशत को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि के व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुसूची के कॉलम–3 के अनुरूप राजस्व/पूँजी के अनुसार तथा कॉलम–4 एवं 5 के अनुरूप मतदेय/भारित के अनुसार कॉलम–6 में अंकित राशि तक सीमित है तथा इसी सीमा तक प्रशासी विभाग द्वारा स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश निर्गत किया जा सकेगा । अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त् उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट पुस्तिकाओं की प्रतियाँ वित्त विभागीय पत्रांकः 225 दिनांकः **12.02.2019** द्वारा प्रेषित किया गया है।

5. संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट http://egazette.nic.in/ पर देखी जा सकती है।

विश्वासभाजन,

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15 / बी0एस0जी0–06 / 2019.....256 / वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना / महानिदेश, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद् / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग / स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री के सचिव / लोकायुक्त के सचिव / सचिव, राजस्व पर्षद / महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग / राज्य सूचना आयोग के सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15 / बी0एस0जी0–06 / 2019.....256 / वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15 / बी0एस0जी0–06 / 2019.....256 / वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग / निदेशक, पुरातत्व निदेशालय / निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग / निदेशक, गव्य निदेशालय / निदेशक, मत्स्य निदेशालय / निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / निदेशक, जन शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् / निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग / निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग / निदेशक, चकबंदी / निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय / निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय / निदेशक, अभिलेखाकार / निदेशक, भूमि संरक्षण / निदेशक, देशी चिकित्सा / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें / निदेशक, सांस्थिक वित्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

बिहार/सचिव, वाणिज्य–कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15/बी0एस0जी0–06/2019.....256/वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि– अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5–5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15/बी0एस0जी0–06/2019.....256/वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि– मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा–4 एवं 5/ संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा–10/संयुक्त सचिव, डाटा कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा–10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15/बी0एस0जी0–06/2019.....256/वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि– स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15/बी0एस0जी0–06/2019.....256/वि0 पटना, दिनांकः 26.02.2019

प्रतिलिपि– सभी उप बजट नियंत्रक, वित्त विभाग/प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर ई–गवर्नेंस कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर ई–गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर डाल दें तथा सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों/कोषागार पदाधिकारियों को ई–मेल भी कर दें।**

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब–15/बी0एस0जी0–06/2019.....256/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019

प्रतिलिपि–बजट शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 277) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
25 फरवरी 2019

सं० एल0जी0-01-05/2019/1563/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 21 फरवरी, 2019** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 4, 2019]

बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 1 अप्रील 2019 से शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम चार माहों की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2019 से प्रवृत्त होगा ।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल व्यय राशि 201071,02,28,000 (दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार) रूपये में से निर्वाचन, गृह एवं आपदा प्रबंधन मद की संपूर्ण राशि तथा शेष मदों के एक तिहाई भाग (33 प्रतिशत) की राशि को हजार के गुणक में करते हुए व्यय करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लेखानुदान में राशि प्रस्तावित है।

3. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 77338,52,96,000 (सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे हजार) रूपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 77338,52,96,000 (सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

4. **विनियोग** ।- इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रील 2019 को प्रारंभ होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	9697952000		9697952000
		पूंजी	66000000		66000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	3145729000		3145729000
		पूंजी	7000		7000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	2616783000		2616783000
		पूंजी	15120924000		15120924000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1205838000		1205838000
		पूंजी	417153000		417153000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	98602000	98602000
		पूंजी	0		0